भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2459

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

केरल में डेयरी किसानों की स्थिति

2459. श्री हैबी ईडनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में डेयरी किसानों को उनके दूध और दुग्ध उत्पादों का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आर्थिक व्यवहार्यता से जूझ रहे लघु डेयरी किसानों की सहायता के लिए राजसहायता अथवा वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डेयरी किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने और दुग्ध उत्पादन में सुधार करने में उनकी सहायता करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू करने की किसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में लघु डेयरी किसानों को उनके दूध और दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट देने, ताकि उनका वित्तीय बोझ कम किया जा सके के लिए सरकार द्वारा विचार किए जा रहे किन्हीं उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार केरल सहित पूरे देश में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर रही

हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करती हैं और इस तरह दूध की कीमतों को स्थिर करने में मदद करती हैं तथा डेयरी पालन से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन की योजना के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर छोटे पैमाने के डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से 100 चारा प्लस किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन कर रहा है। 19 राज्यों में 65 एजेंसियों (क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन- (सीबीबीओ) में कुल 100 चारा प्लस एफपीओ आवंटित किए गए हैं। योजना के प्रावधानों में गठन और इंक्यूबेशन के लिए प्रत्येक सीबीबीओ को पांच वर्षों में 25 लाख रुपये प्रति एफपीओ की वित्तीय सहायता और वेतन, कार्यालय सेटअप और व्यय सहित प्रबंधन सहायता के लिए तीन वर्षों में 18 लाख रुपये प्रति एफपीओ अनुदान शामिल है।

केरल में **9** एफपीओ पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। ये एफपीओ स्थानीय व्यापार केंद्रों के रूप में काम करते हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों को वाणिज्यिक चारा उत्पादन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल का उद्देश्य डेयरी किसानों और चारा उत्पादकों को उनके उत्पादों, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा, सिलेज और चारा बीज शामिल हैं, के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान करके समर्थन देना है।

केरल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे आकस्मिक निधि, चारे की खेती, चारे की खेती के लिए सिंचाई सहायता, चारा भूखंडों का मशीनीकरण और आधुनिकीकरण, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, **1** गाय इकाई, **2** गाय इकाई और **5** गाय इकाई, डेयरी फार्म का मशीनीकरण और आधुनिकीकरण, दूध देने वाली मशीन गोपशु शेड निर्माण, ताकि आर्थिक समस्या से जूझ रहे छोटे पैमाने के डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। केरल सरकार डेयरी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से डेयरी किसानों को तकनीकी सहायता भी देती है, जिससे उन्हें वैज्ञानिक तरीके से गोपशुओं को पालने में मदद मिलती है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) को शामिल करते हुए अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) के तहत एक घटक के रूप में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष **2025-2026** के **31.03.2026** तक एएचआईडीएफ का संशोधित परिव्यय **29110.25** करोड़ रुपए है। एएचआईडीएफ योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों अर्थात् व्यक्तिगत उद्यमियों, डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियों को डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित उत्पाद अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जा रहा है। केरल राज्य में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें एर्नाकुलम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को एडापल्ली, कोच्चि, केरल में डेयरी उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ाने और त्रिपुनिथुरा डेयरी, एर्नाकुलम में 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका परियोजना परिव्यय 15.50 करोड़ रुपये है, जिसका 12.20 करोड़ रुपये के

ऋण और 3.05 करोड़ रुपये के अंतिम उधारकर्ताओं के योगदान से निधियन किया गया है। व्यक्तिगत उद्यमियों की अन्य 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 1.96 करोड़ रुपये है, जिसमें सावधि ऋण 1.52 करोड़ रुपये है।

केरल सरकार विशेष ऋण योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जो डेयरी किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने तथा दूध उत्पादन में सुधार करने में सहायता करती हैं। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(i) डेयरी फार्मों की स्थापना तथा मौजूदा डेयरी फार्मों के स्वचालन/आधुनिकीकरण के लिए परियोजना आधारित बैंक ब्याज सबवेंशन योजना।

(ii) डेयरी फार्मों की स्थापना, डेयरी फार्मों के स्वचालन/मशीनीकरण की मौजूदा अवसंरचना में सुधार, गोपशु आहार मिश्रण तथा कंपाउंडिंग इकाइयों की स्थापना, टीएमआर इकाई, सिलेज बनाने की इकाइयों, वाणिज्यिक चारा खेती कोल्ड चेन रखरखाव की स्थापना, दूध के मूल्य संवर्धित उत्पाद आदि के लिए योजना घटक को बैंक ब्याज सबवेंशन मोड में कार्यान्वित किया जाता है।

(iii) लाभार्थी, व्यक्तिगत किसान, उद्यमी एसएचजी, जेएलजी, अन्य पंजीकृत समूह आदि होंगे। उपरोक्त उद्देश्य के लिए बैंक से लिए गए ऋण की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम ब्याज सबवेंशन राशि 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

(iv) सभी वाणिज्यिक डेयरी इकाई (10 गाय इकाई, 20 गाय इकाई, बछिया पार्क आदि) ऋण संबद्ध योजनाओं के रूप में कार्यान्वित की जाती है।

(घ) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. संघीय सहकारी समिति को दूध की आपूर्ति करने वाली एक प्राथमिक सहकारी समिति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 त के तहत संघ की समिति को दूध की आपूर्ति से संबंधित अपने संपूर्ण लाभ के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।

ii. सहकारी समितियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की आय पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।

iii. सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर भी कंपनियों के बराबर सहकारी समितियों के लिए 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है।

iv. आयकर अधिनियम की धारा 269 धध और 269 न में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) द्वारा जमा (डिपोजिट) स्वीकार किया जाता है या पीएसीएस के सदस्य द्वारा पीएसीएस से नकद में ऋण लिया जाता है, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि, जिसमें उनका बकाया शेष शामिल है, 2 लाख रुपए से कम है तो कोई दंडात्मक परिणाम उत्पन्न नहीं होगा।

****